स्वच्छता ही सेवा है

भाकृअनुपः भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान

ICAR: INDIAN INSTITUTE OF SOIL & WATER CONSERVATION

(Indian Council of Agricultural Research)

अनुसंधान केन्द्र, छलेसर–आगरा 282006 उ0 प्र0

Research Centre, Chhalesar- AGRA-282006 (U.P.)

Phone : (O) 0562-6544599 , Mob. : 09837017725, E-mail : agra.cswcrti@gmail.com

पत्र संख्या :- 4(13)/1016-17/स्टोर/71-82   दिनांक :- 11/06/2021

नोटिस नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस केंद्र पर निम्नलिखित उत्पाद का लोक नीलामी दिनांक : 24/06/2021 को समय 12.00 बजे होगा। सभी सज्जन नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित है । नीलामी होने वाले सामानों का बिवरण निम्नलिखित है ।

क्रम संख्या	उत्पादका नाम	मात्रा
1	सारसो	14.55 कुंतल
2.	तारामीरा	13.50 कुंतल

नीलामी की शर्तें :-

नीलामी का विस्तृत विवरण इस केंद्र से जाना जा सकता है ।

1. प्रस्तावित बोली बोलने वाले व्यक्ति अपनी बोली के पूर्व माल का निरीक्षण एवं सत्यापन कर सकते हैं । नीलामी के बाद किसी भी प्रकार का परिवाद (शिकायत) नहीं सुनी जाएगी।
2. बोली के पूर्व बोली बोलने वाले को बयाने के रूप में रु.- 10000/- जमा कराने होंगे।
3. सफल बोली बोलने वाले को खरीद की पूरी रकम का 50 प्रतिशत भाग बोली समाप्त होने के तुरंत बाद जमा करानी होगी, और शेष रकम बोली स्वीकार होने के एक सप्ताह के अंदर जमा करानी होगी। इसके पश्चात माल उठाने की इजाजत दी जाएगी। बेचा हुआ माल रकम जमा करने के पश्चात एक सप्ताह के अंदर उठाना होगा । इसका उल्लंघन करने पर जमा की गई रकम जप्त की जा सकती है।
4. सामान उठाने का समय प्रातः 10-00 बजे से सांय 17-00 बजे तक निर्धारित होगा रविवार या अन्य किसी भी छुट्टी के दिन सामान उठाने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।
5. बोली स्वीकार होने के बाद ठेकेदार अपने सामान की देख रेख का स्वयं ही जिम्मेदार होगा । इस बारे में केंद्र की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
6. ठेकेदार अनुसंधान क्षेत्र में उपरोक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करेगा । इसके अलावा अन्य किसी भी आने की आज्ञा नहीं दी जायेगी और अपने प्रतिनिधि या कर्मचारी के किसी गलत कार्य अथवा अचूक के जिम्मेदार स्वयं होंगे।
7. प्रस्तावित बोली बोलने वाले को इन शर्तों के राजी होने के बाद इस परिपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
8. सफल बोली बोलने वाले ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि की लापरवाही से यदि अनुसंधान फार्म छलेसर की जायदाद को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस बारे में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा ।
9. **नीलामी मे दी गई दर एक सप्ताह के लिए मान्य होगा ।**
10. केंद्राध्यक्ष आगरा को बिना कोई कारण स्पष्ट किये नीलामी में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति की बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

11/6/21

केंद्राध्यक्ष